समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खण्ड पीठ रीवा (म0प्र0) (181)

निगरानी प्र.क.......................

RS-30/-

शंकर यादव तनय देवी प्रसाद यादव निवासी ग्राम क्योटी लालगॉव, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0 ———**आवेदक/निगरानीकर्ता**

बनाम

RS167-II/17

प्रेमनाथ मिश्रा तनय बालमीक प्रसाद ब्रा0 निवासी ग्राम क्योटी लालगॉव, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0 ——**रेस्पाडेण्ट/गैरनिगरानीकर्ता**

अधि0 श्री आनन्द मोहन मिश्रा द्वारा प्रस्तुत/19-4-17

19.4.17

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय वृत्त लालगॉव, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 10अ70/2015–16 आदेश दिनांक 28.03.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नांकित है :–

1– यह कि माननीय न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, वृत्त लालगॉव, के प्रकरण क0–10अ70/2015–16 में दिनांक 28.03.2017 को जो आदेश पारित किया गया है, उसे इस निगरानी प्रकरण मे निगरानीशुदा आदेश से सम्बोधित किया जाएगा।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रत्यर्थी ने ग्राम क्योटी की आराजी नं0–370/1क रकवा 3.02हे0 के अंश रकवा 0.97 एकड़ व आराजी नं0–370/1 रकवा 0.18 एकड़ के अंश रकवा 0.03 एकड़ के सीमांकन का आवेदन विचारण न्यायालय के राजस्व निरीक्षक सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसका सीमांकन किया गया, सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क0–23अ12/2014–15 में दिनांक 22.06.2015 को किया गया.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5167–दो/17 जिला –रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
20.6.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आनन्द मोहन मिश्रा उपस्थित होकर नायब तहसीलदार वृत्त लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा का प्रकरण क्रमांक 10/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.3.17 के विरूद्व यह निगगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा खसरा वर्ष 2015–16 की नकल प्रस्तुत की है उसके अनुसार अनावेदक भूमिस्वामी है। म0 प्र0 भ–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत भूमिस्वामी की जमीन पर अन्य व्यक्ति का कब्जा किया जाता है तो धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः नायब तहसीलदार वृत्त लालगांव तहसील	

सिरमौर जिला रीवा का प्रकरण कमांक 10/अ—70/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 28.3.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख वापस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य